



कार्यालय पुलिस उपायुक्त वरुणा जोन कमिश्नरेट वाराणसी

प्रेस नोट

दिनांक- 16.05.2025

विषय:- “आपरेशन कन्विकशन” के तहत प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप थाना शिवपुर मे पंजीकृत एनडीपीएस एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त राजा यादव को जेल में बितायी गयी अवधि व कुल 5000/- रु0 का अर्थदण्ड।

थाना शिवपुर, कमिश्नरेट वाराणसी में पंजीकृत मु0अ0सं0-178/2019 धारा 8/21 NDPS ACT से सम्बन्धित अभियुक्त राजा यादव पुत्र रामजीत सिंह यादव निवासी- ग्राम भवानीपुर थाना करण्डा जनपद गाजीपुर को थानाध्यक्ष शिवपुर व मॉनिटरिंग सेल वाराणसी की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप आज दिनांक-16.05.2025 को माननीय न्यायालय ASJ-05 जनपद वाराणसी द्वारा दोषसिद्ध पाते हुए अभियुक्त उपरोक्त राजा यादव को धारा 8/21NDPS ACT अंतर्गत जेल मे बितायी गयी अवधि तथा 5000/-रु0 के अर्थदंड से दण्डित किया गया।

सोशल मीडिया सेल
पुलिस उपायुक्त, वरुणा जोन
कमिश्नरेट वाराणसी।